

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

कचनार ई-5 पर्यवरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462018

मेल-[mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), दूरभाष-0755.2427091

क्रमांक / टीसी / 11 / उपां / नग्रानि / 2017 भोपाल, दिनांक:- / / 2017  
प्रति,

1. कलेक्टर,  
जिला रतलाम (म.प्र.)।
2. उप संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, रतलाम (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, रतलाम  
जिला रतलाम (म.प्र.)।
4. आयुक्त,  
नगर निगम, रतलाम।  
जिला रतलाम (म.प्र.)।

**विषय:-** रतलाम विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- यथोपरि

(संदीप यादव)

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
भोपाल

6579  
पु.क्रमांक / टीसी / 11 / उपां / नग्रानि / 2017 भोपाल दिनांक:- 28/11/2017  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित ।

*[Signature]*  
27/11/17  
आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म0प्र0भोपाल

ADP  
30/11/17

AITO  
30/11/2017

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज, पुलिस थाना के पास, भोपाल-462018

ई-मेल - [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), दूरभाष-0755.2427091

## सूचना

भोपाल, दिनांक 28) 11/2017

क्रमांक 6576/11/उपां/टीसी/रतलाम/2017 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट रतलाम विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

## अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् भू-उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	कस्बा रतलाम	106/2 में से 108/2 में से 100 105	1.600 0.300 0.190 0.020	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	वाणिज्यिक
		कुल रकबा	2.110 हेक्टेयर		

शर्त:-

- वर्तमान राजेन्द्र प्रसाद मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर रखना होगा।
- प्रश्नाधीन भूमि पर पहुँच हेतु 12.00 मीटर चौड़ी पुलिया का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रतलाम तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रतलाम, को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा ।

*slad*  
27-11-17

(संदीप यादव)

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म0प्र0भोपाल

M

**Directorate, Town and Country planning,  
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh**

Email: [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in), Phone No: 0755.2427091

**Notice**

Bhopal, Dated. 28/11/2017

No. 6576 /11/TC/Ratlam/2017 :: In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (I) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Ratlam Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

**SCHEDULE**

No	Village	Khasara No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the Development plan	Proposed land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Kasba Ratlam	106/2 Part 108/2 Part 100 105	1.60 0.30 0.190 0.020	Proposed Public and Semi Public	Commercial
		Total	2.11 Ha.		

Condition:-

1. The proposed width of Existing Rajendra Prasad road shall be kept as 24.00 meter.
2. A 12.00 meter wide culvert shall be constructed for access to the land in question.

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, District Ratlam as well as on the web site. [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in), for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Bhopal Madhya Pradesh or Deputy Director, Town and Country Planning, District office Ratlam, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director .

  
( Sandeep Yadav )

Commissioner cum Director  
Town and Country Planning  
Madhya Pradesh Bhopal